संख्याः 676 /44-1-2010

प्रेषक,

श्री हरि राज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 15 अप्रैल,2010

विषयः- वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सार्वजनिक उधम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-428/44-1-2010, दिनांक 10 मार्च,2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर राज्य कर्मचारियों की भाँति समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थें ।

2- इस संबंध में मुझे यह का निदेश हुआ है कि ऐसे उपक्रमों/ निगमों में जिनके कार्मिकों को छठे वेतनमान के अनुरुप पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन बैण्ड लागू किये जा चुके, परन्तु अभी ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू नहीं की गयी है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की व्यवस्था सार्वजनिक उधम विभाग द्वारा जारी किये गये पूर्व शासनादेशों के अनुरुप पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगी । तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(हरि राज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 676 /44-1-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,उ0प्र0, 242-जवाहर भवन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0 पी0 सिंह)
उप सचिव।